संख्या-62/2020/3761/71-2-20-के0जी0एम0यू0-63/2017

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

विषय- कोविड-19 के दृष्टिगत् चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के आर0ए0एल0सी0 परिसर में संचालित कोविड हास्पिटल हेतु उपकरण इत्यादि की सूची अनुमोदित किये जाने तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा विश्वविद्यालय के पत्रांक 2488/वित्त एवं लेखा/क्रय/2020, दिनांक 29.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत् चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के आर0ए0एल0सी0 परिसर में संचालित कोविड हास्पिटल हेतु उपकरण इत्यादि क्रय किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के मूल आय-व्ययक में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 40,00,00,000.00/- के सापेक्ष शासनादेश संख्या-45/2020/1482/71-2-20-698/2020टी0सी0-6, दिनांक 01.06.2020 एवं शासनादेश संख्या-50/ 2020/3287/71-2-20-के0जी0एम0यू0-63/2017, दिनांक 13 अगस्त, 2020 द्वारा क्रमशः धनराशि रू0 26,88,000.00 एवं धनराशि रू0 15,07,71,448.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 15,34,59,448.00 अवमुक्त किए जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में उल्लिखित उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए उक्त उपकरणों के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 40,00,00,000.00 (रूपया चालीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 03,65,75,000.00 (रूपया तीन करोड पैंसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1) वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के प्रचलित शासनादेशों के द्वारा जिन उपकरणों के संबंध में मानकीकरण करते हुये दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में उक्तानुसार निर्धारित तकनीकी विशिष्टिताओं एवं दिशा-निर्देशों के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
2) जिन उपकरणों के स्पेशिफिकेशन निर्धारित हैं, तदनुसार ही कार्यवाही की जायेगी तथा विश्वविद्यालय हेतु उपकरण/संयंत्र मद में उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा कर ली जाये।
4) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
5) वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
7) प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/वित्त अधिकारी/संबन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
8) दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
9) वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आदेश (पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट), दिनांक 23 जुलाई, 2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही सी0वी0सी0/वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10) संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई- प्रोक्योरमेन्ट/गवमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11) कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा नियमानुसार आडिट भी सुनिश्चित कराया जायेगा।
12) प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना कुलसचिव/वित्त अधिकारी/ विभागाध्यक्ष/मुख्य चिकित्सा अधिक्षक की जिम्मेदारी होगी।
13) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
14) उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात, यदि उपकरण क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
15) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
16) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/ उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
17) प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाय।
18) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

19) के0जी0एम0यू0 द्वारा प्रस्तावित उपकरणों का क्रय उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा।

20) रू0 50.00 लाख के ऊपर अनुमानित क्रय मूल्य के समस्त उपकरणों हेतु निविदा निर्गत करने से पूर्व उपकरण की निविदा विशिष्टताएं ऐसी कमेटी से निर्धारित करायी जाय, जिसमें अनिवार्य रूप से कम से कम एक वाह्य विशेषज्ञ हो। रू0 05.00 करोड के ऊपर अनुमानित क्रय मूल्य के समस्त उपकरणों हेतु उपकरण की निविदा विशिष्टताओं हेतु गठित कमेटी में 03 वाह्य विशेषज्ञ सम्मिलित हो, जिसमें एक अनिवार्य रूप से प्रदेश के बाहर के हों।

21) उपकरणों के क्रय के संबंध में सुसंगत नियमों इत्यादि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की समस्त जिम्मेदारी कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी की होगी।

22) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरणों का क्रय किया जायेगा तथा क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूँजी लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षाण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र " के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-62/2020/3761(1)/71-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in